न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 11/2022

अपीलांटगण–

1. तुलछाराम पुत्र बक्सीराम
2. हीराराम पुत्र बक्सीराम
3. खेमाराम पुत्र बक्सीराम
4. फुसी बेवा बक्सीराम
   जातियान ब्राहम्ण निवासी
   पटाली नाडी तहसील
   गिड़ा जिला बालोतरा।

बनाम

उत्तरदातागण–

1. अमेदाराम पुत्र उगराराम,
   जाति जाट निवासी पटाली
   नाडी तहसील गिड़ा जिला
   बालोतरा।
2. दुर्गाराम पुत्र अमोलख
3. शंकरलाल पुत्र अमोलख
4. बंशीलाल पुत्र अमोलख
5. जगदीश प्रसाद पुत्र कासीराम
   जातियान ब्राहम्ण निवासी
   पटाली नाडी, रतेउ तहसील
   गिड़ा जिला बालोतरा।
6. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ
   इंडिया बैंक, शाखा गिड़ा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक – रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता अपीलांट संख्या 02 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जेठूलाल कुमावत, अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 04 व 05 की ओर से उपस्थित।
4. शेष समस्त उतरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक:– 20.08.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांट संख्या 02 एवं उतरदातागण संख्या 04 व 05 के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम पटाली नाडी पटवार हल्का रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 383 रकबा 243.03 बीघा में आई हुई है। जिसमें अपीलांटगण के हिस्से में 1/5

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

रकबा 58.12.04 बीघा आती है तथा शेष 1/5 उतरदातागण के हिस्से में आती है। उक्त पैतृक व संयुक्त खातेदारी भूमि का तहसीलदार गिड़ा द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 को पारित किया गया। परंतु पक्षकारों का आपस में मौके कब्जे व काश्त अनुसार बंटवाड़ा न होने से उक्त आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा दर्ज कर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर विवादित भूमि का मूल राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु मिसल चिटठी लिखी गई। उतरदातागण संख्या 04 व 05 की ओर अधिवक्ता उपस्थित शेष समस्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 01 से 02 भी बावजूद सूचना जरिये कॉज लिस्ट लगातार अनुपस्थित रहे।

3. अधिवक्ता अपीलांटगण की बहस सुनी गई दौरान बहस अधिवक्ता अपीलांटगण ने अवगत कराया कि उतरदाता ने छल कपट कर गलत रूप से बंटवाड़े के दस्तावेज तैयार करवा कर एक तरफा गलत बंटवाड़ा करवा लिया तथा अपीलांटगण के अनपढ़ होने व उन पर विश्वास करने के कारण यह बंटवाड़ा आदेश करवा लिया। जो निरस्त होने योग्य है। जवाब में अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 04 व 05 ने तर्क दिया कि उक्त बंटवाड़ा आदेश अपीलांटगण व उतरदातागण के कब्जे काश्त व हिस्से के अनुरूप किया गया है और वर्तमान में उक्त समस्त काश्तकार अपने अपने हिस्से पर कब्जा रखते हुए काश्त कर रहे है तथा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा काश्त व हिस्से को ध्यान में रखते हुए नक्शे में रंग भरकर खातेदारान के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवाये थे। इसलिए उक्त बंटवाड़ा आदेश को यथावत रखा जायें।

4. मैनें योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि मय

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा।

नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश की पत्रावली को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा मौजा पटाली नाडी पटवार हल्का रतेउ तहसील गिड़ा के खेत खसरा संख्या 383 रकबा 243.03 बीघा भूमि के संबंध में तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 का काश्तकारों में मौके व कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा व राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश का सही अमलदरामद होने से अपीलांटगण की यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर तहसीलदार गिड़ा के आदेश क्रमांक रा.लो.अ./2018/49 दिनांक 27.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **20.08.2024** को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा